बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आ०सं०–2/अ0प्र0–1–13/2016 1815 /पटना, दिनांक :– 3.12.2020

श्री अर्शद आलम, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रजौली से अगस्त 2015 का मासिक लेखा विवरणी ससमय महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को समर्पित नहीं करने के आरोप पर आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 1458 अनु0 दिनांक 27.04.2016 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री आलम से प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक 26.05.2016 में उल्लेख किया गया कि माह जुलाई, 2015 के लेखा समर्पण में विलंब होने तथा इस कारण प्रमंडलीय रोकड़पाल एवं लेखा पदाधिकारी के विरूद्ध की गयी कार्रवाई के बावजुद माह अगस्त, 2015 के लेखा समर्पण में भी इनके द्वारा अपेक्षित कार्रवाई नहीं कर अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हुए लेखा ससमय समर्पित नहीं किया गया। जिसके फलस्वरूप अगस्त, 2015 का मासिक लेखा के समर्पण में विलंब हो गया।

3. श्री आलम के स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी और समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकार योग्य पाते हुए उन्हें भविष्य में अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहने की चेतावनी देने का निर्णय लिया गया है।

4. प्रस्ताव में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

अतः उक्त के आलोक में श्री अर्शद आलम, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रजौली सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, टिकारी को भविष्य में अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहने की चेतावनी दी जाती है।

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–13/2016 1815 /पटना, दिनांक :– 3.12.2020

प्रतिलिपि :–सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया/प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग/विभागीय आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग/श्री अर्शद आलम, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रजौली सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, टिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव